

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला बड़वानी
(समक्ष- 'श्रीमती वंदना राज पाण्डेय')

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 447/2011
संस्थित दिनांक 09.09.2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र,
अंजड़ जिला बड़वानी, मप्र

- **अभियोगी**

वि रू द्ध

1. मंजु पिता गंगाराम कोली, उम्र 40 वर्ष,
निवासी उचावद बयडीपुरा
2. अंतर पिता गंगाराम कोली, उम्र 25 वर्ष,
निवासी उचावद बयडीपुरा
3. अजय पिता मंजु कोली, उम्र 22 वर्ष,
निवासी उचावद बयडीपुरा
4. श्यामला पिता गंगाराम कोली, उम्र 55 वर्ष,
निवासी उचावद बयडीपुरा

- **अभियुक्तगण**

अभियोजन द्वारा एडीपीओ - श्री अकरम मंसूरी
अभियुक्त द्वारा अभिभाषक - श्री एल.के.जैन

-: **नि र्ण य :-**

(आज दिनांक 05.05.2017 को घोषित)

01- आरोपीगण के विरुद्ध पुलिस थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 230/2011 के आधार पर दिनांक 05.08.2011 को रात लगभग 8:00 बजे ग्राम उचावद बयडीपुरा हनुमान मंदिर के पास फरियादी दिनेश को स्वेच्छया उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित करने, जिसके अग्रसरण में उसे कुल्हाड़ी एवं धारदार फाल्ता से स्वेच्छया उपहति कारित करने के कारण भादवि की धारा 324/34 का आरोप है।

02- प्रकरण में स्वीकृत तथ्य है कि आरोपीगण को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। प्रकरण में स्वीकृत तथ्य है कि प्रकरण में विचारण के दौरान फरियादी द्वारा राजीनामा किये जाने के आधार पर आरोपीगण को भा.द.वि. की धारा 294, 323, 506 भाग-2 के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा भा.द.वि. की धारा 324 का अपराध अशमनीय प्रकृति का होने से उक्त धारा में निर्णय किया जा रहा है।

03- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 05.08.201 को फरियादी राजु ने थाना अंजड़ पर आकर आरोपीगण के विरुद्ध यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह गांव वालों के साथ अवैध शराब बेचने वालों की जन सुनवाई में शिकायत करने गया था, जिसमें किसी का नाम नहीं दिया था। आज शाम को वह खेती के लिये मजदुर करने गया था तथा बैडी पर बजरंग मंदिर के सामने रोड़ पर खड़ा था

तभी मंजु कोली कुल्हाड़ी लेकर आया व उसको अश्लील गालियां दी, इतने में अंतर फाल्ता लेकर, अजय व श्यामला लकड़ी लेकर आये तथा उसका रास्ता रोक लिया व बौने साले को जान से खत्म कर दो, मंजु ने कुल्हाड़ी सीधी धार तरफ से मारी जो बांये कान पर लगी, अंतर ने फाल्ता मारा जो सामने माथे पर लगा खुन निकल आया, श्यामला व अजय ने लकड़ीयां मारी जो पीठ पर लगी, वह चिल्लाया तो राजु, शंकर, रनछोड, बद्रीलाल दौड़कर आये व बीच बचाव किया तब आरोपीगण ने जान से मारने की धमकी दी, रिपोर्ट करने आया है। फरियादी की उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर थाना अंजड़ पर अपराध क्रमांक 230/11 दर्ज कर, नक्शा मौका बनाया गया, फरियादी व साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कर, आरोपीगण को गिरफ्तार कर, आरोपीगण के पेश करने पर कुल्हाड़ी, फाल्ता, व लकड़ियां जप्त कर, सम्पूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— उपरोक्त अनुसार मेरे द्वारा अभियुक्तगण को भादवि की धारा 324 के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित करने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपीगण का कथन है कि वे निर्दोष है, उन्हें झूठा फंसाया गया है, अभियुक्तगण ने अपने बचाव में कोई साक्ष्य नहीं देना प्रकट किया है।

05— प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक 05.08.2011 को रात लगभग 8:00 बजे ग्राम उचावद बयडीपुरा हनुमान मंदिर के पास फरियादी दिनेश को स्वेच्छया उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया, जिसके अग्रसरण में कुल्हाड़ी एवं धारदार फाल्ता से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का निराकरण :-

06— उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी दिनेश (अ.सा.2) का कथन है कि लगभग 6 वर्ष पहले रात्रि के 8 बजे बजरंग मंदिर के सामने आरोपीगण ने उसे रोककर उसके साथ मारपीट की थी, वह जमीन पर गिर गया था जिससे उसे नुकीला पत्थर बांये कान पर लगा था जिससे खुन निकला था, उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना अंजड़ में की थी जो प्रदर्श पी 2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसे पुलिस ने ईलाज के लिये अंजड़ अस्पताल भेजा था जहां पर उसका ईलाज हुआ था। उक्त साक्षी को अभियोजन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी मंजु ने उसे बांये कान पर कुल्हाड़ी मार दी थी। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि आरोपी अंतर ने फाल्ता से उसके साथ मारपीट की थी। साक्षी ने पुलिस को प्रदर्श पी 3 के कथन में ए से ए भाग वाली बात बताने से भी इंकार किया है। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि

आरोपीगण से उसका राजीनामा हो गया है। लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि राजीनामा हो जाने के कारण वह आरोपीगण को बचाने के लिए घटना के संबंध में सही बात नहीं बता रहा है।

07— राजू (अ.सा.1) तथा शंकरलाल (अ.सा.3) ने भी उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं तथा अभियोजन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षियों ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपीगण ने फरियादी दिनेश को कुल्हाड़ी और फाल्ता से मारपीट की थी। लेकिन इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आरोपीगण से फरियादी का राजीनामा हो गया है। लेकिन साक्षियों ने इस सुझाव से इंकार किया है कि वे आरोपीगण को बचाने के लिए घटना के संबंध में सही बात नहीं बता रहा है।

08— आर.एस. मुजाल्दे (अ.सा-4) का कथन है कि दिनांक 05.08.2011 को पुलिस थाना अंजड के अपराध क्र. 230/11 की केस डायरी अनुसंधान हेतु प्राप्त होने पर, उसके द्वारा घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 4 बनाया गया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा फरियादी एवं साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये थे। उसके द्वारा आरोपी अंतर के पेश करने पर लोहे का फाल्ता प्रदर्श पी 5 के अनुसार एवं आरोपी मंजू के पेश करने पर लोहे की कुल्हाड़ी प्रदर्श पी 8 के अनुसार जप्त किये गये थे जिनके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि थाना अंजड पर प्रधान आरक्षक दुलिचंद पाटीदार ने उसके साथ लगभग 4-5 वर्ष तक कार्य किया था जिनकी हस्तलिपि एवं हस्ताक्षर को वह जानता है। दुलिचंद पाटीदार का निधन हो चुका है तथा प्रदर्श पी 2 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन दुलिचंद पाटीदार के हस्तलेख में है जो सी से सी भाग पर है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके द्वारा साक्षियों के कथन उसकी मर्जी से लिख लिये थे। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसे सभी साक्षियों ने कथन नहीं दिये थे। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जप्तशुदा दराता, बांस की लकड़ी सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के सभी परिवारों में मिलती है। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि वह आरोपीगण को फंसाने के लिए असत्य कथन कर रहा है।

09— राजीनामा होने के कारण किसी अन्य साक्षी का परीक्षण अभियोजन की ओर से नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में जबकि प्रकरण का फरियादी स्वयं पक्ष विरोधी रहा है और उसने अभियुक्त के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 324 के अपराध के संबंध में कोई भी कथन नहीं किये हैं तथा उनसे राजीनामा होना स्वीकार किया है तो फरियादी स्वयं के कथनों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध या अन्य कोई अपराध प्रमाणित नहीं होता है और उन्हें उक्त अपराध के लिये दोषिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है और उनके विरुद्ध कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किये जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 324/34 के अंतर्गत अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

10— अतः आरोपी मंजु पिता गंगाराम कोली, उम्र 40 वर्ष, निवासी उचावद बयडीपुरा, अंतर पिता गंगाराम कोली, उम्र 25 वर्ष, निवासी उचावद बयडीपुरा, अंजय पिता मंजु कोली, उम्र 22 वर्ष, निवासी उचावद बयडीपुरा, श्यामलाल पिता गंगाराम कोली, उम्र 55 वर्ष, निवासी उचावद बयडीपुरा को भा.द.वि. की धारा 324/34 के अंतर्गत अपराध के आरोप से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

11— अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

12— अभियुक्तगण के द.प्र.सं. की धारा-428 के अंतर्गत निरोध की अवधि के प्रमाण-पत्र बनाये जाए।

13— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति एक फाल्या, लकड़ियां एवं एक कुल्हाड़ी मूल्यहीन होने से मूल्यहीन होने से बाद अपील अवधि अपील नहीं होने पर नियमानुसार नष्ट की जाए, अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

—सही—

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला बड़वानी, म.प्र.

—सही—

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी, म.प्र.